झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांकः– 21/11/19

संचिका संख्या–04/आ0–01–1019/2018 4079 / निदेशक SBM(G) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची द्वारा श्री राधेश्याम रवि, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गढ़वा, सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, खुँटी के विरूद्ध उनके गढ़वा प्रमण्डल में पदस्थापन के दौरान SBM(G) योजना के IHHL निर्माण निराशजनक रहने, ODF Mark घोषित नहीं कराना, ODF की भौतिक प्रगति काफी असंतोषजनक रहने, सुयोग्य लाभुको का शौचालय निर्माण नहीं कराया जाना, Geo Tagging का प्रतिशत कम रहना, उच्चधिकारियों की निदेशों की अवहेलना करते हुए Performance Audit Of TSC/NBA Report में उठाई गई आपत्तियों का जवाब ससमय नहीं देने, NNP के SVS योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने, NNP योजनाओं के चेक बुक कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने नियंत्रण में नहीं रखने, NNP में Capex एवं Opex Collection की स्थिति असंतोषजनक रहने साथ ही Community organiser की नियुक्ति नहीं करने एवं NNP अंतर्गत स्वीकृत योजनओं का पूर्ण नहीं कराना इत्यादि आरोप गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त मामला विभाग के संज्ञान में आने के पश्चात् विभागीय पत्रांक 3048 दिनांक 23.07.2018 एवं स्मार पत्रांक 4009 दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री रवि, प्रभारी कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई।

2. इसी बीच उप विकास, आयुक्त, गढ़वा के पत्रांक 1747 दिनांक 28.08.2018 के आलोक में श्री रवि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में गढ़वा जिलान्तर्गत नीलम्बर पीताम्बर शहीद ग्राम विकास योजना के तहत मदगड़ी, प्रखण्ड–बड़गड के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में बरती गयी अनियमितताओं के लिये विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा विभाग से की गई। जिसके आलोक में पुनः विभागीय पत्रांक 3792 दिनांक 12.09.2018 द्वारा श्री रवि से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई। जिसके अनुपालन में श्री रवि द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. श्री रवि द्वारा समर्पित उक्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री रवि के स्पष्टीकरण में वर्णित बिन्दुओं पर निदेशक SBM (G) का मंतव्य प्राप्त किया गया। जिसपर निदेशक SBM (G) द्वारा श्री रवि के विरूद्ध उक्त वर्णित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने की अनुशंसा विभाग से की गई।

4. तत्पश्चात् उपरोक्त सम्पूर्ण मामले के समीक्षोपरांत सक्षम प्रधिकार द्वारा श्री रवि, प्रभारी कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपो हेतु उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत् श्री रवि के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री कामेश्वर प्रसाद, झा0प्र0से0(सेवानिवृत), विभागीय जॉच पदाधिकारी,कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभषा विभाग, झारखण्ड को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

7. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव– बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

20.11.19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4080 राँची, दिनांक– 21/11/19

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

20.11.19

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4080 राँची, दिनांक– 21/11/19

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.19

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4080 राँची, दिनांक– 21/11/19

प्रतिलिपि– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव / सभी मुख्य अभियन्ता/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/सभी उप सचिव,/सभी अवर सचिव (प्रशाखा–01 एवं 04)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

20.11.19

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4080 राँची, दिनांक– 21/11/19

प्रतिलिपि– श्री कामेश्वर प्रसाद, झा0प्र0से0(सेवानिवृत) विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नियुक्त विभागीय जाँच पदाधिकारी सह संचालन पदाधिकारी / श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची सह उपस्थापन पदाधिकारी, को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोपरि।

20.11.19

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4080 राँची, दिनांक– 21/11/19

प्रतिलिपि– श्री राधेश्याम रवि, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गढ़वा, सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, खुँटी को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी के निर्देश पर सुनवाई के हर तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित करेंगे तथा जाँच कार्य में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।
अनु0–यथोपरि।

20.11.19

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4080 राँची, दिनांक– 21/11/19

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.19

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

20.11.19